

भारत के राजपत्र असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं० 5 (आर.ई 2010)/2009-2014
नई दिल्ली दिनांक 23 अगस्त, 2010

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर.ई 2010) के आयात-निर्यात प्रपत्र 5क, आयात-निर्यात प्रपत्र 5ख, परिशिष्ट-26 और परिशिष्ट-26क में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (आर ई 2010) और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक I,II,III और IV में यथा निहित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में एएनएफ 5क, एएनएफ-5ख, परिशिष्ट-26 और परिशिष्ट-26क को अधिसूचित करते हैं। यह 23 अगस्त, 2010 से प्रभावी होगा।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

(पी०के० चौधरी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
अपर सचिव, भारत सरकार

(फाइल सं० 01/36/218/89/एएम 09/ईपीसीजी-1 से जारी)

ए एन एफ - 5 क

ई पी सी जी प्राधिकार पत्र/वार्षिक ईपीसीजी हेतु आवेदन का प्रपत्र

(शून्य शुल्क/3 प्रतिशत शुल्क के अन्तर्गत)

(कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्त में दिए गए दिशा-निर्देश देखें)

1. आवेदक का ब्यौरा
(i) नाम
(ii) आयातक निर्यातक कोड सं०
(iii) पता

2.	निर्यातक का प्रकार (कृपया निशान लगाएँ)	(<input checked="" type="checkbox"/>)
i	व्यापारी निर्यातक	
ii	विनिर्माता निर्यातक	
iii	सेवा प्रदायक	
iv	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
v	व्यापारी सह विनिर्माता	

3.	आरसीएमसी ब्यौरे
i	आरसीएमसी संख्या
ii	जारी करने की तिथि तथा वैधता की अवधि
iii	जारी करने वाला प्राधिकारी
iv	उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है

4.	औद्योगिक पंजीकरण का ब्यौरा
i	एसएसआई/आईईएम/एलओआई अथवा आईएल - पंजीकरण संख्या

ii	जारी करने की तारीख
iii	जारी करने वाला प्राधिकारी
iv	उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है

5.	सेवा कर पंजीकरण ब्यौरा (सेवा कर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत सेवा प्रदायकों के मामले में)
i	सेवा कर पंजीकरण संख्या
ii	जारी करने वाला प्राधिकारी
iii	सेवाएं जिनके लिए पंजीकृत है

6.	स्तर सदन ब्यौरा
i	ईएच/एसईएच/टीएच/एसटीएच/पीटीएच
ii	प्रमाण पत्र संख्या
iii	जारी करने की तिथि तथा वैधता की अवधि
iv	जारी करने वाला प्राधिकारी

7.	उत्पाद शुल्क का ब्यौरा (जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हैं)
i	उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या
ii	जारी करने की तारीख/जारी करने वाला प्राधिकारी

8.	आवेदन शुल्क का ब्यौरा
(i)	धनराशि (रु०)
(ii)	इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर संख्या

9.	स्कीम के तहत आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का क्षेत्रवार वर्गीकरण (कृपया निशान लगाएँ)
i	औद्योगिक क्षेत्र
ii	कृषि क्षेत्र
iii	सेवा क्षेत्र

10.	निर्यात किए जाने वाले उत्पाद/दी जाने वाली सेवाएँ	आईटीसी (एचएस) कोड
-----	--	-------------------

14.	आयात के लिए आवेदित मुक्त रूप से आयातित पूंजीगत माल का ब्यौरा (वार्षिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए लागू नहीं)				
क्रम सं०	आयात की मदों का विवरण	आई टी सी (एच एस) कोड	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्रकार +	मात्रा	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्राथमिक उपयोग++

15.	आयात के लिए आवेदित प्रतिबंधित पूंजीगत माल का ब्यौरा				
-----	---	--	--	--	--

क्रम सं०	आयात की मद का विवरण	आई टी सी(एच एस) कोड	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्रकार +	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्राथमिक उपयोग ++

तकनीकी विशिष्टिकरण /मॉडल सं० आदि	मात्रा	मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में सी आई एफ मूल्य

+ - क्या पूंजीगत माल/स्पेयर्स/टूल्स/जिग्स/फिक्सचर्स/डाइज/माउल्ट्स/स्पेयर रिफैक्ट्रीज/कैटलिस्ट हैं

++- क्या इनको उत्पादन पूर्व गतिविधियों/उत्पादन गतिविधियों/उत्पादन बाद की गतिविधियों/सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया है ।

(ऊपर दिए गए कॉलम 14 एवं 15 में से जो लागू हो उसे भरें । यदि आवेदक प्रतिबंधित एवं मुक्त रूप से आयात किए सकने वाले पूंजीगत माल दोनों का आयात करना चाहता है तो उपयुक्त सूचना दोनों कॉलमों में भरी जानी चाहिए)

16.	बचाये गए शुल्क का ब्यौरा			
आयात की जाने वाली/आयात हुई मानी गई मदों पर कुल प्रभावी सीमा शुल्क (%में)+	इस स्कीम के अन्तर्गत लगाया जाने वाली लेवी	बचाया गया शुल्क (प्रतिशत में)	आयात/मान्य आयातों का सी आई एफ मूल्य, (रु० में)	बचाया गया शुल्क (रु० में)
1	2	3 = 1-2	4	5=3*4/100

टिप्पणी:- i. + पूँजीगत माल के स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त होने की स्थिति में बचाए गए सीमाशुल्क की गणना पूँजीगत माल के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर बचाए गए नोशनल सीमाशुल्क से की जानी चाहिए (विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.7क के अनुसार)

ii. नीति के पैरा 5.1ख के अनुसार परियोजनाओं के लिए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के मामले में, मूल सीमाशुल्क 7.5 प्रतिशत होगा । जहाँ कहीं सी वी डी को नगद चुका दिया गया है और तदोपरान्त सेनवेट नहीं लगाया गया है, कुल बचाए गए शुल्क की गणना के लिए सी वी डी को नहीं गिना जाएगा।

17. लगाए जाने वाले निर्यात दायित्व और औसत निर्यात दायित्व का ब्योरा:

क्रम सं० 15 के कॉलम 5 के अनुसार बचाय गया कुल शुल्क	निर्यात दायित्व (बचाए गए शुल्क के गुणक के रूप में) जिसे लगाया जाना है				लगाया जाने वाला औसत निर्यात दायित्व	लगाई जाने वाली निर्यात दायित्व अवधि (वर्षों में)	
	6 गुणा ++		8 गुणा			8 वर्ष	12 वर्ष +++
	रुपये	यू एस डॉलर	रुपये	यू एस डॉलर		(विशेष रूप से निर्दिष्ट करें)	

++ एस एस आई यूनिटों और प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन स्कीम के मामले में

+++ i कृषि यूनिटों और कुटीर एवं अत्यंत छोटे क्षेत्रों के लिए

ii ईपीसीजी लाइसेंसों जिसमें 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का सीमाशुल्क बचाया गया है ।

18. पंजीकरण का पन्तन (आयात के प्रयोजन के लिए)

19. फैक्ट्री/ आवेदक के परिसर का पता, जहाँ आयात किया जाने वाला पूँजीगत माल अधिष्ठापित किया जाना है ।

<p>20. अगर आयात किया जाने वाला प्रस्तावित पूंजीगत माल का सहायक विनिर्माता द्वारा प्रयोग किया जाना है तो कृपया बताएँ</p>
i) सहायक विनिर्माता का नाम
ii) सहायक विनिर्माता का पता
iii) एसएसआई/एलओआई/आई एल की पंजीकरण सं० व तिथि
iv) एसएसआई/आईएल/आईई एम पर पृष्ठांकित उत्पाद
v) उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या और जारी करने वाला प्राधिकारी (यदि लागू हो)

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं हम पूर्णतया समझता हूँ समझते हैं कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी और मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. मैं/हम विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तकों और निर्यात आयात मदों के आई टी सी एचएस वर्गीकरण प्रक्रिया पुस्तक, विदेश व्यापार नीति और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, और इसके तहत बने नियमों व आदेशों, के प्रावधानों का पालन करने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
3. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/फर्म का न्यासी/कंपनी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कंपनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है।
4. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि न तो फर्म/कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय और न ही इसका कोई शाखा कार्यालय/यूनिट/प्रभाग को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति की किसी शर्त के अधीन आयात/निर्यात के लिए अयोग्य किया गया है।

4(क). मैं/हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि हमारी आवेदक फर्म/कंपनी अभी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित तकनीकी उन्नयन फण्ड स्कीम (टी यू एफ एस) के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रही है। (केवल शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम पर लागू)

(ख). मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि हमारी आवेदक फर्म/कम्पनी ने चालू वर्ष में विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.17 के तहत स्तर धारक प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त नहीं किया है और न ही करेगी। (सिर्फ शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के लिए लागू)

5. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2009-14 की अनुसूची 2 की परिशिष्ट 3 में शामिल स्कोमेट मदों की सूची का अनुसरण किया है और निर्यातित/निर्यात के लिए प्रस्तावित मद (मदें) इस सूची में नहीं आती हैं और मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं चाहे स्कीम कोई भी हो जिसके अधीन मद का निर्यात किया गया है/किया जाना है।

6. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आर बी आई द्वारा निर्धारित अवधि अथवा आर बी आई की अनुमति से विस्तारित अवधि के बाद, कोई निर्यात आय बकाया नहीं है।

7. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जो आवेदन में पूँजीगत माल/स्पयरस का जो आयात किया जाना है उसका निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निर्यात उत्पाद (दों) या सेवाएं दी जाने के लिए उत्पादन से पहले/उत्पादन में/ उत्पादन के पश्चात् वास्तव में आवश्यकता है।

8. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि माले के संबंध में बाद में कोई संबंध स्थापित नहीं होता तो मैं/हम ऐसे आयातित माल पर 15% ब्याज सहित बचाए गए सीमाशुल्क का सरकार को भुगतान करूँगा/करेंगे, जिसका निर्यातित उत्पाद या प्रदान की गयी सेवा से कोई संबंध नहीं है।

9. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि रिफरविस्ड/रिकण्डीशंड हिस्से पूर्जों के आयात के मामले में रिफरबिस्ड/रिकण्डीशंड हिस्से पुर्जों शेष कालावधि मूल हिस्से पुर्जों की कालावधि से 80% से कम नहीं है।

10. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सेवाकर की सीमा में नहीं आते हैं अतः क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के सेवा कर प्रकोष्ठ के साथ पंजीकृत नहीं है (सेवा प्रदायक जो सेवाकर के तहत नहीं आते हैं)।

11. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के तहत आयात करने के पश्चात् संयंत्र और मशीनरी में एस. एस. आई. निवेश सीमा को पार नहीं करूँगा/करेंगे (एस. एस. आई. क्षेत्र द्वारा किए गए आयात पर लागू)।

12. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आयात किए गए पूँजीगत माल का प्रयोग 1000 वर्ग मी. के न्यूनतम कवर्ड एरिया वाले शॉपिंग माल/सुपर मार्केट के लिए के निर्माण और परिचालन के लिए करूँगा/करेंगे (खुदरा क्षेत्र द्वारा किए गये आयात पर लागू) ।

13. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पहले किसी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत आयात नहीं किया है और इस स्कीम (जिसके लिए आवेदन किया है) के तहत किया जाने वाला पूँजीगत माल पर आयात संयंत्र और मशीनरी में मेरी/हमारी मौजूदा निवेश से 10% ज्यादा है (ई पी सी जी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत आयात पर लागू) ।

13(क) मैं/हम फर्मास्यूटिकल उत्पाद(दों) के मामले में, ई पी सी जी प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर 'औषध विनिर्माण लाइसेंस' की स्वतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे ऐसा न करने पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों/विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को पूँजीगत माल की निकासी के समय प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता जैसा भी मामला, हो, जब्त/रद्द कर दी जाएगी और मैं/हम पहले आयात की तारीख से अन्तिम भुगतान की तारीख तक सीमाशुल्क बचाई गई राशि उस पर लागू ब्याज के साथ अदा करने के हकदार होंगे ।

14. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है ।

(टिप्पणी: जो लागू न हो उसे काट दें)

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

नाम

दिनांक

पदनाम

कार्यालय पता

फोन

आवासीय पता

ई मेल

आवेदक के लिए दिशा-निर्देश

1. अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें ।
2. आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है ।
3. अगर आयात किया जाने वाला पूंजीगत माल प्रतिबंधित श्रेणी में हो तो आवेदन की एक प्रति डी जी एफ टी मुख्यालय में ई एफ सी को भी भेजी जाए। (ऐसे मामलों में मुख्यालय में ई एफ सी को भेजते समय कोई अलग से आवेदन पत्र नहीं भेजा जाएगा) ई एफ सी स्वीकृति मिलने के पश्चात आर ए द्वारा ई पी सी जी प्राधिकार पत्र इस पृष्ठांकन के साथ जारी कर दिया जाएगा कि ई एफ सी ने ई पी सी जी प्रतिबंधित पूंजीगत माल के लिए अनुमति जारी करने का अनुमोदन कर दिया है ।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए
 - (1) बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ईएफटी का विवरण परिशिष्ट 21 ख के अनुसार फीस का भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में।
 - (2) उत्पादों के मामले में आई ई एम/एस एस आई पंजीकरण संख्या स्वप्रमाणित प्रतिलिपि या सेवा प्रदायकों के मामले में सेवा कर पंजीकरण की स्वप्रमाणित ।

(सेवा दायकों को मामलों में जो सेवा कर प्राधिकारियों का पास पंजीकृत न हो वे (घोषणा सं0 10) पर घोषणा देंगे इन मामलों में सेवा कर पंजीकरण संख्या की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे मामलों में संबंधित ई पी सी जी द्वारा जारी आर सी एम सी काफी है ।)
5. परिशिष्ट 32 क में दिए गए फार्मेट में दिया गया सनदी अभियन्ता द्वारा यह प्रमाणित करता हुआ प्रमाण पत्र कि:
 - (क) ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत आयात की जाने वाली अंतिम प्रयोग/मशीनरी के नैक्सस का प्री प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन/पोस्ट प्रोडक्शन निर्यातित माल/सेवाओं की गतिविधि (मशीनरी के अन्तिम प्रयोग का ब्यौरा बताते हुए) और/या
 - (ख) आयात के लिए मांगे गए हिस्से-पुर्जों की अनिवार्यता और निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ आयात के लिए मांगी गयी मशीनरी का विनिर्माण करने वाली मौजूदा मशीनरी के लिए आवश्यक मात्रा, और/या
 - (ग) विदेशों में ग्राहकों को सेवा की भारत में किसी अन्य देश की सेवा ग्राहकों को आपूर्ति के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात के लिए मांगी गयी वस्तुओं/उपकरणों के प्रयोग

का ब्यौरा ताकि विदेशी मुद्रा में निर्यात के भुगतान से संबंधित विदेशी मुद्रा का अर्जन/सेवा की आपूर्ति की जा सके ।

6. ए एन एफ 5क में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखाकार/लागत और निर्माण लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान आवेदक फर्म द्वारा किए गए निर्यात/प्रदान की गयी सेवाओं का विवरण ।

क) मौजूदा संयंत्र और मशीनरी के लिए हिस्से पुर्जों के आयात के मामले में आवेदक फर्म/सहायक विनिर्मित जिसके लिए हिस्से पुर्जों की आवश्यकता है, कारखाना/परिसर में पहले से अधिष्ठापित आयातित संयंत्र/मशीनरी की सनदी अभियन्ता पर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सूची,

ख) ई ओ यू/एस ई जैड द्वारा प्रस्तुत किए गए ई पी सी जी आवेदनों के मामले में संबंधित विकास आयुक्त से अनापत्ति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें आवेदक फर्म द्वारा अयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त पूँजीगत माल/आयात/सोर्सिंग के समय उसका मूल्य और स्कीम के तहत शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए मूल्यहास के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

7. पिछले ई पी सी जी प्राधिकार पत्र की प्रति (ई पी सी जी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत किए गये आवेदन के मामले में)

7.क) वस्त्र क्षेत्र के लिए शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों के मामले में, आवेदक को वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि कम्पनी अभी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित तकनीकी उन्नयन फण्ड स्कीम (टी यू ए एस) के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रही है ।

8. आई टी सी (एच एस) के तहत प्रतिबंधित पूँजीगत माल के आयात के मामले में प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (चाहे इसे पहले से प्राप्त किया गया हो तो इसे संलग्न करें) ।

ए एन एफ - 5 ख

ई पी सी जी/वार्षिक ई पी सीजी प्राधिकार पत्र विमुक्ति हेतु निर्यात का विवरण

1. आवेदक का ब्यौरा
नाम और पता

2.	ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख	वास्तविक रूप से बचाई गई शुल्क की राशि
----	---	---------------------------------------

3. निर्यात दायित्व अवधि (ई ओ पी)		
i.	मूल तारीख	
ii.	बढ़ाई गई ई ओ पी तारीख	
iii.	वास्तविक निर्यात दायित्व पूरा करने की तारीख	

4. अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संख्या और तारीख	

5. निर्यात उत्पाद ब्यौरे:		
i.	उसी/वैसे ही उत्पाद का नाम और आई टी सी (एच एस) कोड	
ii.	वैकल्पिक उत्पाद का नाम और आई टी सी (एच एस) कोड	

6.	लगाया गया निर्यात दायित्व (ईओ)	वास्तविक रूप से बचाए गए शुल्क के अनुसार ईओ/औसत ईओ		
	भारतीय रु0 में	अमरीकी डालर में	भारतीय रु0 में	अमरीकी डालर में

+ वैकल्पिक उत्पाद के मामले में, वैकल्पिक उत्पाद का औसत निर्यात दायित्व दिया जाए।

7. प्राधिकार पत्र के विशिष्ट निर्यात दायित्व, जिसके लिए छूट मांगी गई है, को बनाए रखने के लिए किए गये वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात/दी गई सेवाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्यातित/आपूर्ति/दी गई सेवाओं के उत्पाद आईटीसी (एचएस)	शिपिंग बिल/ वाउचर/ बीजक/ सी टी 3/ ए आर ई 3/ लॉरी रसीद/ रेलवे रसीद के ब्यौरे+	जहाज पर्यन्त निःशुल्क/ रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में)++						
	समान उत्पाद/ सेवाएँ वैकल्पिक उत्पाद/ सेवाएँ	संख्या	तारीख	प्रत्यक्ष निर्यात	तृतीय पार्टी निर्यात	मान्य निर्यात	समूह कम्पनी द्वारा	अन्य आर एंड डी सेवाएं/ रायल्टी	योग

+ होटल उद्योग द्वारा भरा जाये।

++ प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यातों पर लगाए गए निर्यात दायित्व की विमुक्ति हेतु केवल निर्यातों/की गई आपूर्तियाँ/की जा सकने वाली/दी जाने वाली सेवाओं पर आयातित/पूँजीगत माल भी शामिल होगा।

8. हम आगे यह भी करते हैं कि हमने औसत (उपर्युक्त 7 में उल्लिखित को छोड़कर) निर्यातों को बनाए रखने के लिए निम्नानुसार निर्यात किए हैं।

वित्तीय वर्ष	निर्यातों का कुल मूल्य (विशेष निर्यात दायित्व के तहत निर्यातों को छोड़कर) (भारतीय रूप में)	औसत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए शिपिंग बिल का ब्यौरे

* इस कॉलम में उपर्युक्त क्रम सं. 7 के अन्तर्गत आने वाले निर्यात शामिल नहीं हैं।

* इस कॉलम में अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के विशेष निर्यात दायित्व को बनाए रखने के लिए किए गए निर्यात शामिल नहीं हैं।

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गये ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है और आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने आयात निर्यात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2009-14 की अनुसूची 2 की परिशिष्ट 3 में शामिल स्कोमेट मदों की सूची का अनुसरण किया है और निर्यातित मद (मदों)/ निर्यात की जाने वाली मद (मदें) इस सूची में नहीं आती हैं और मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं चाहे स्कीम कोई भी हो जिसके अधीन मद का निर्यात किया गया है/किया जाना है। (रेखांकित हिस्से को हटा दिया जाएगा, यदि स्कोमेट मद के लिए निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के मामले में प्रस्तुत की गई है)
3. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस लाइसेंस के मद्दे विशेष निर्यात दायित्व के लिए निर्यात अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन/विशेष निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए दावा नहीं किए गए/माने गए।
4. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

नाम

पदनाम

कार्यालय पता

फोन

आवासीय पता

ई मेल का पता

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त मद सं.7 एवं 8 में दिखाए गए सभी वास्तविक निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में हैं और इनका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है*।

सनदी लेखापाल की मोहर सहित हस्ताक्षर

* 'सेवा प्रदायक' के मामले में एएनएफ 5ख के साथ फारवर्ड इनवर्ड रेमिटैन्स प्रमाणपत्र (एफआईआरसी)/बैंक प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

टिप्पणी: निर्यात आय की वसूली पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक गुण-दोष के आधार पर निर्यात आय की वसूली की आवश्यकता को समाप्त कर देता और निर्यातक क्रेता से निर्यात आय की वसूली न करने के बारे में भारतीय विदेश मिशन से प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर देता है। तथापि, इसमें स्वतः समाप्त किए गए मामले शामिल नहीं होंगे।

आवेदकों के लिए दिशानिर्देश

1. सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित परिशिष्ट 26क अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. आवेदन-पत्र के साथ उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार दस्तावेज लगाये जाने चाहिए।

परिशिष्ट - 26

सनदी लेखापाल/लागत और निर्माण लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र
(ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए)

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स

जिनकी आईईसी संख्या और पैन सं. है,
का लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित रजिस्ट्रों व
रिकार्डों की भी जाँच कर ली है और एतद्द्वारा सत्यापित करते हैं कि:

1. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और
मेरे/हमारे द्वारा उसकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है नामशः

क. सीमाशुल्क अधिनियम 1962, उत्पाद अधिनियम सेवा कर अधिनियम 1848 ि
वदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत सांविधिक दस्तावेज।

ख. माल के निर्यात के लिए:

i. निर्यात आदेश/कान्ट्रेक्ट,

ii. शिपिंग बिल

iii. बिल ऑफ लैंडिंग (और एयरवेज बिल/पीपी रसीदें)

iv. कस्टम/बैंक द्वारा सत्यापित बीजक,

v. निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र,

vi. जी आर घोषणा इत्यादि तथा

vii. संबंधित लेखा पुस्तिकों।

ग. सेवाओं के निर्यात के लिए:

i. विदेशी मुद्रा सीधे अर्जन का बैंक प्रमाण पत्र,

ii. जीआर घोषणा पत्र,

iii. फार्वर्ड इन्वर्ड रैमिटैन्स प्रमाण पत्र (एफआईआरसीएस)

iv. इन्टरनेशनल क्रेडिट कम्पनी से प्रमाण पत्र,

v. अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए सीए सर्टिफिकेट,

(सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण प्रमाणित प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में जैसे ट्रेवल एजेंटों/टूर आर्गनाइजर्स से प्राप्त राशि विदेशी एअर लाइन्स के कू और कैटरिंग के ठहरने पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और डिप्लोमेटिक मिशनों से प्राप्त राशि तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 24-12-1998 के नीति परिपत्र 60/97-2002 के शर्तों के अनुसार अन्य एवं प्राधिकृत डीलरों से प्रमाण पत्र भुनाने पर प्राप्त राशि को भी सत्यापित किया हो।)

vi. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा संबंधित लेखा पुस्तकों का बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण

2. विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत संबंधित वित्तीय जानकारी और वित्तीय रजिस्टर बनाये गये हैं जो कि हमारे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

3. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना निम्नलिखित ब्यौरों के बारे में-

क. किया गया आयात/निर्यात और दी गई सेवाएं

ख. मुक्त विदेशी मुद्रा का अर्जन/प्राप्ति (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से दोनों)

ग. तृतीय पक्ष निर्यात

घ. मान्य निर्यात

मैसर्स और उनकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेश व्यापार नीति 2004-09 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित रजिस्टर और रिकार्ड बनाये गये हैं जो सत्य और सही है।

4. यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी तरीके से सत्य और ठीक है, इसका कोई भाग असत्य या भ्रामक नहीं है और कोई संगत सूचना छुपाई या रोकी नहीं गई है।

5. न तो मैं और न ही मेरा कोई साझीदार उपर्युक्त आवेदक अथवा उसकी सहायक कंपनियों का साझीदार निदेशक अथवा कर्मचारी नहीं है।

6. मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कानून में या अन्यथा निर्धारित हो, के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे

7. आयात-निर्यात प्रपत्र 5क के कालम 12 में दिए गए अनुसार पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान समान उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा:

वित्त वर्ष	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य
1.	अमरीकी डालर रू.
2.	अमरीकी डालर रू.
3.	अमरीकी डालर रू.

हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता के मुहर/सील)

(सनदी लेखापाल/लागत एवं निर्माण लेखापाल)

हस्ताक्षरकर्ता के नाम:

स्थान:

पता:

दिनांक:

सदस्यता सं.

क्रम सं. (1) में उल्लिखित रिकार्ड के यदि किसी दस्तावेज का रखरखाव/प्रस्तुत, जाँच अथवा सत्यापित नहीं किया गया है तो इसे निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:-

टिप्पणी:

1. इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखापाल द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए।

परिशिष्ट - 26 क

सनदी लेखापाल/लागत और निर्माण लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र

(ईपीसीजी विमुक्ति के लिए)

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स
जिनकी आईईसी संख्या और पैन सं. है,
कालाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित रजिस्ट्रों व
रिकार्डों की भी जाँच कर ली है और एतद्द्वारा सत्यापित करते हैं कि

1. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं
और मेरे/हमारे द्वारा उसकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है नामशः

क. सीमाशुल्क अधिनियम 1962, उत्पाद अधिनियम सेवा कर अधिनियम
1848 विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत
सांविधिक दस्तावेज।

i.

ii.

ख. माल के निर्यात के लिए:

i. निर्यात आदेश/कान्ट्रेक्ट,

ii. शिपिंग बिल

iii. बिल ऑफ लैंडिंग (और एयरवेज बिल/पीपी रसीदें)

iv. कस्टम/बैंक द्वारा सत्यापित बीजक,

v. निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र,

vi. जी आर घोषणा इत्यादि तथा

vii. संबंधित लेखा पुस्तिकों।

ग. सेवाओं के निर्यात के लिए:

i. विदेशी मुद्रा सीधे अर्जन का बैंक प्रमाण पत्र,

ii. जीआर घोषणा पत्र,

iii. फार्वर्ड इनवॉइस रैमिटेन्स प्रमाण पत्र (एफआईआरसीएस)

- iv. इन्टरनेशनल क्रेडिट कम्पनी से प्रमाण पत्र, अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए
- v. अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए सीए सर्टिफिकेट, (सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण प्रमाणित प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में जैसे ट्रेवल एजेंटों/टूर आर्गनाइजर्स से प्राप्त राशि विदेशी एअर लाइन्स के क्रू और कैटरिंग के ठहरने पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और डिप्लोमेटिक मिशनों से प्राप्त राशि तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 24-12-1998 के नीति परिपत्र 60/97-2002 के शर्तों के अनुसार अन्य एवं प्राधिकृत डीलरों से प्रमाण पत्र भुनाने पर प्राप्त राशि को भी सत्यापित किया हो।)
- vi. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा संबंधित लेखा पुस्तकों का बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण

2. विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत संबंधित वित्तीय जानकारी और वित्तीय रजिस्टर बनाये गये हैं जो कि हमारे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

3. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना

i- प्रत्येक निर्यात

ii- तृतीय पक्ष निर्यात

iii- मान्य निर्यात

iv- दी गई सेवाएं

v- मुक्त विदेशी मुद्रा/प्राप्ति (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से दोनों)

मैसर्स..... और उनकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेश व्यापार नीति 2004-09 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित रजिस्टर और रिकार्ड बनाये गये हैं जो सत्य और सही है।

4. यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी तरीके से सत्य और ठीक है, इसका कोई भाग असत्य या भ्रामक नहीं है और कोई संगत सूचना छुपाई या रोकी नहीं गई है।

5. मैं/हम एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि विशिष्ट निर्यात दायित्व के संबंध में, जहाजरानी बिलों में, दिए गए संगत ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख

की जाँच कर ली गई है । यदि जहाजरानी बिल में ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख नहीं दी गई है तो नीति परिपत्र सं० 7/2002 के अनुसार दस्तावेज संलग्न किए जाएँ ।

6. न तो मैं और न ही मेरा कोई साझीदार उपर्युक्त आवेदक अथवा उसकी सहायक कंपनियों का साझीदार निदेशक अथवा कर्मचारी नहीं है।

7. मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कानून में या अन्यथा निर्धारित हो, के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे

(हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता के मुहर/सील)

(सनदी लेखापाल/लागत एवं निर्माण लेखापाल)

स्थान:	हस्ताक्षरकर्ता के नाम:
दिनांक:	पता:
	सदस्यता सं.

क्रम सं. (1) में उल्लिखित रिकार्ड के यदि किसी दस्तावेज का रखरखाव/प्रस्तुत, जाँच अथवा सत्यापित नहीं किया गया है तो इसे निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:-

टिप्पणी:

1. इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखापाल द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए।

ए एन एफ - 5 ख

ई पी सी जी/वार्षिक ई पी सीजी प्राधिकार पत्र विमुक्ति हेतु निर्यात का विवरण

1. आवेदक का ब्यौरा
नाम और पता

2.	ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख	वास्तविक रूप से बचाई गई शुल्क की राशि
----	---	---------------------------------------

3. निर्यात दायित्व अवधि (ई ओ पी)		
i.	मूल तारीख	
ii.	बढ़ाई गई ई ओ पी तारीख	
iii.	वास्तविक निर्यात दायित्व पूरा करने की तारीख	

4. अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संख्या और तारीख	

5. निर्यात उत्पाद ब्यौरे:		
i.	उसी/वैसे ही उत्पाद का नाम और आई टी सी (एच एस) कोड	
ii.	वैकल्पिक उत्पाद का नाम और आई टी सी (एच एस) कोड	

6.	लगाया गया निर्यात दायित्व (ईओ)	वास्तविक रूप से बचाए गए शुल्क के अनुसार ईओ/औसत ईओ		
	भारतीय रु0 में	अमरीकी डालर में	भारतीय रु0 में	अमरीकी डालर में

+ वैकल्पिक उत्पाद के मामले में, वैकल्पिक उत्पाद का औसत निर्यात दायित्व दिया जाए।

7. प्राधिकार पत्र के विशिष्ट निर्यात दायित्व, जिसके लिए छूट मांगी गई है, को बनाए रखने के लिए किए गये वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात/दी गई सेवाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्यातित/आपूर्ति/दी गई सेवाओं के उत्पाद आईटीसी (एचएस)	शिपिंग बिल/ वाउचर/ बीजक/ सी टी 3/ ए आर ई 3/ लॉरी रसीद/ रेलवे रसीद के ब्यौरे+	जहाज पर्यन्त निःशुल्क/ रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में)++						
	समान उत्पाद/ सेवाएँ वैकल्पिक उत्पाद/ सेवाएँ	संख्या	तारीख	प्रत्यक्ष निर्यात	तृतीय पार्टी निर्यात	मान्य निर्यात	समूह कम्पनी द्वारा	अन्य आर एंड डी सेवाएं/ रायल्टी	योग

+ होटल उद्योग द्वारा भरा जाये।

++ प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यातों पर लगाए गए निर्यात दायित्व की विमुक्ति हेतु केवल निर्यातों/की गई आपूर्तियाँ/की जा सकने वाली/दी जाने वाली सेवाओं पर आयातित/पूँजीगत माल भी शामिल होगा।

8. हम आगे यह भी करते हैं कि हमने औसत (उपर्युक्त 7 में उल्लिखित को छोड़कर) निर्यातों को बनाए रखने के लिए निम्नानुसार निर्यात किए हैं।

वित्तीय वर्ष	निर्यातों का कुल मूल्य (विशेष निर्यात दायित्व के तहत निर्यातों को छोड़कर) (भारतीय रूप में)	औसत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए शिपिंग बिल का ब्यौरे

* इस कॉलम में उपर्युक्त क्रम सं. 7 के अन्तर्गत आने वाले निर्यात शामिल नहीं हैं।

* इस कॉलम में अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के विशेष निर्यात दायित्व को बनाए रखने के लिए किए गए निर्यात शामिल नहीं हैं।

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गये ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है और आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने आयात निर्यात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2009-14 की अनुसूची 2 की परिशिष्ट 3 में शामिल स्कोमेट मदों की सूची का अनुसरण किया है और निर्यातित मद (मदों)/ निर्यात की जाने वाली मद (मदें) इस सूची में नहीं आती हैं और मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं चाहे स्कीम कोई भी हो जिसके अधीन मद का निर्यात किया गया है/किया जाना है। (रेखांकित हिस्से को हटा दिया जाएगा, यदि स्कोमेट मद के लिए निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के मामले में प्रस्तुत की गई है)
3. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस लाइसेंस के मद्दे विशेष निर्यात दायित्व के लिए निर्यात अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन/विशेष निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए दावा नहीं किए गए/माने गए।
4. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

नाम

पदनाम

कार्यालय पता

फोन

आवासीय पता

ई मेल का पता

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त मद सं.7 एवं 8 में दिखाए गए सभी वास्तविक निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में हैं और इनका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है*।

सनदी लेखापाल की मोहर सहित हस्ताक्षर

* 'सेवा प्रदायक' के मामले में एएनएफ 5ख के साथ फारवर्ड इनवर्ड रेमिटैन्स प्रमाणपत्र (एफआईआरसी)/बैंक प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

टिप्पणी: निर्यात आय की वसूली पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक गुण-दोष के आधार पर निर्यात आय की वसूली की आवश्यकता को समाप्त कर देता और निर्यातक क्रेता से निर्यात आय की वसूली न करने के बारे में भारतीय विदेश मिशन से प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर देता है। तथापि, इसमें स्वतः समाप्त किए गए मामले शामिल नहीं होंगे।

आवेदकों के लिए दिशानिर्देश

1. सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित परिशिष्ट 26क अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. आवेदन-पत्र के साथ उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार दस्तावेज लगाये जाने चाहिए।

परिशिष्ट - 26

सनदी लेखापाल/लागत और निर्माण लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र (ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए)

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स

जिनकी आईईसी संख्या और पैन सं. है,
का लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित रजिस्ट्रों व
रिकार्डों की भी जाँच कर ली है और एतद्द्वारा सत्यापित करते हैं कि:

1. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और
मेरे/हमारे द्वारा उसकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है नामशः

क. सीमाशुल्क अधिनियम 1962, उत्पाद अधिनियम सेवा कर अधिनियम 1848 ि
वदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत सांविधिक दस्तावेज।

ख. माल के निर्यात के लिए:

i. निर्यात आदेश/कान्ट्रेक्ट,

ii. शिपिंग बिल

iii. बिल ऑफ लैंडिंग (और एयरवेज बिल/पीपी रसीदें)

iv. कस्टम/बैंक द्वारा सत्यापित बीजक,

v. निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र,

vi. जी आर घोषणा इत्यादि तथा

vii. संबंधित लेखा पुस्तिकों।

ग. सेवाओं के निर्यात के लिए:

i. विदेशी मुद्रा सीधे अर्जन का बैंक प्रमाण पत्र,

ii. जीआर घोषणा पत्र,

iii. फार्वर्ड इन्वर्ड रैमिटैन्स प्रमाण पत्र (एफआईआरसीएस)

iv. इन्टरनेशनल क्रेडिट कम्पनी से प्रमाण पत्र,

v. अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए सीए सर्टिफिकेट,

(सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण प्रमाणित प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में जैसे ट्रेवल एजेंटों/टूर आर्गनाइजर्स से प्राप्त राशि विदेशी एअर लाइन्स के कू और कैटरिंग के ठहरने पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और डिप्लोमेटिक मिशनों से प्राप्त राशि तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 24-12-1998 के नीति परिपत्र 60/97-2002 के शर्तों के अनुसार अन्य एवं प्राधिकृत डीलरों से प्रमाण पत्र भुनाने पर प्राप्त राशि को भी सत्यापित किया हो।)

vi. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा संबंधित लेखा पुस्तकों का बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण

2. विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत संबंधित वित्तीय जानकारी और वित्तीय रजिस्टर बनाये गये हैं जो कि हमारे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

3. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना निम्नलिखित ब्यौरों के बारे में-

क. किया गया आयात/निर्यात और दी गई सेवाएं

ख. मुक्त विदेशी मुद्रा का अर्जन/प्राप्ति (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से दोनों)

ग. तृतीय पक्ष निर्यात

घ. मान्य निर्यात

मैसर्स और उनकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेश व्यापार नीति 2004-09 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित रजिस्टर और रिकार्ड बनाये गये हैं जो सत्य और सही है।

4. यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी तरीके से सत्य और ठीक है, इसका कोई भाग असत्य या भ्रामक नहीं है और कोई संगत सूचना छुपाई या रोकी नहीं गई है।

5. न तो मैं और न ही मेरा कोई साझीदार उपर्युक्त आवेदक अथवा उसकी सहायक कंपनियों का साझीदार निदेशक अथवा कर्मचारी नहीं है।

6. मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कानून में या अन्यथा निर्धारित हो, के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे

7. आयात-निर्यात प्रपत्र 5क के कालम 12 में दिए गए अनुसार पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान समान उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा:

वित्त वर्ष	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य
1.	अमरीकी डालर रु.
2.	अमरीकी डालर रु.
3.	अमरीकी डालर रु.

हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता के मुहर/सील)

(सनदी लेखापाल/लागत एवं निर्माण लेखापाल)

हस्ताक्षरकर्ता के नाम:

स्थान:

पता:

दिनांक:

सदस्यता सं.

क्रम सं. (1) में उल्लिखित रिकार्ड के यदि किसी दस्तावेज का रखरखाव/प्रस्तुत, जाँच अथवा सत्यापित नहीं किया गया है तो इसे निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:-

टिप्पणी:

1. इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखापाल द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए।

परिशिष्ट - 26 क

सनदी लेखापाल/लागत और निर्माण लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र

(ईपीसीजी/वार्षिक ईपीसीजी विमुक्ति के लिए)

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स
का प्राधिकार पत्र संख्यादिनांक..... के संबंध में निर्धारित
रजिस्ट्रों व रिकार्डों की भी जाँच कर ली है और एतद्वारा सत्यापित करते हैं कि

1. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं
और मेरे/हमारे द्वारा उसकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है नामशः

क. मान्य निर्यातों के लिए:

i. संबंधित ई ओ यू के बाण्ड कार्यालय द्वारा विधिवत प्रमाणित अन्तर्वर्ती आपूर्तियों
अथवा आपूर्ति बीजकों अथवा सी टी 3/ए आर ई 3 के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के
ए आर ओ/बैंक टू बैंक अन्तरदेशी शाख पत्र की प्रति जिसमें यह दर्शाया गया हो कि
आपूर्तियों प्राप्त हो गयी हैं ।

ii. परिशिष्ट-22(ख) में दिए प्रपत्र में सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये भुगतान
प्राप्त करने का प्रमाण अथवा परिशिष्ट-22(ग) में दिए गए संबंधित परियोजना
प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाणपत्र की एक स्वप्रमाणित प्रति ।

ख. माल के निर्यात के लिए:

- i. निर्यात आदेश/कान्ट्रेक्ट,
- ii. शिपिंग बिल
- iii. बिल ऑफ लैंडिंग (और एयरवेज बिल/पीपी रसीदें)
- iv. कस्टम/बैंक द्वारा सत्यापित बीजक,
- v. निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र,
- vi. जी आर घोषणा इत्यादि तथा
- vii. संबंधित लेखा पुस्तिकों।

- ग. सेवाओं के निर्यात के लिए:
- i. विदेशी मुद्रा सीधे अर्जन का बैंक प्रमाण पत्र,
 - ii. जीआर घोषणा पत्र,
 - iii. फार्वर्ड इनवर्ड रैमिटैन्स प्रमाण पत्र (एफआईआरसीएस)
 - iv. इन्टरनेशनल क्रेडिट कम्पनी से प्रमाण पत्र, अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए
- v. अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए सीए सर्टिफिकेट, (सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण प्रमाणित प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में जैसे ट्रेवल एजेंटों/टूर आर्गनाइजर्स से प्राप्त राशि विदेशी एअर लाइन्स के क्रू और कैटरिंग के ठहरने पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और डिप्लोमेटिक मिशनों से प्राप्त राशि तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 24-12-1998 के नीति परिपत्र 60/97-2002 के शर्तों के अनुसार अन्य एवं प्राधिकृत डीलरों से प्रमाण पत्र भुनाने पर प्राप्त राशि को भी सत्यापित किया हो।)
- vi. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा संबंधित लेखा पुस्तकों का बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण

(ii) विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत संबंधित वित्तीय जानकारी और वित्तीय रजिस्टर बनाये गये हैं जो कि हमारे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं और जिस पर मेरी/हमारी सील लगी है और हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(iii) मैं/हम एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि विशिष्ट निर्यात दायित्व के संबंध में, जहाजरानी बिलों में, दिए गए संगत ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख की जाँच कर ली गई है । यदि जहाजरानी बिल में ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख नहीं दी गई है तो नीति परिपत्र सं० 7/2002 के अनुसार दस्तावेज संलग्न किए जाएँ ।

(iv) न तो मैं और न ही मेरा कोई साझीदार उपर्युक्त आवेदक अथवा उसकी सहायक कंपनियों का साझीदार निदेशक अथवा कर्मचारी नहीं है।

(v) मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कानून में या अन्यथा निर्धारित हो, के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे

(हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता के मुहर/सील)
(सनदी लेखापाल/लागत एवं निर्माण लेखापाल)

हस्ताक्षरकर्ता के नाम:
स्थान: पता:
दिनांक: सदस्यता सं.

क्रम सं. (1) में उल्लिखित रिकार्ड के यदि किसी दस्तावेज का रखरखाव/प्रस्तुत, जाँच अथवा सत्यापित नहीं किया गया है तो इसे निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:-

- 1.
- 2.

टिप्पणी: इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखापाल सी डब्ल्यू ए/सी एस द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए।